



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270525  
CG-DL-E-26022026-270525

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 142]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 148(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 10 फरवरी, 2026 को सा.का.नि. 846 (ड.) के तहत प्रकाशित भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 10 फरवरी, 2026 की अधिसूचना में,—

- पेज 1 में, लाइन 11, के लिए “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021”, पढ़ा जाए “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)”;
- पेज 3 में, लाइन 17, के लिए “खंड (ख)”, पढ़ा जाए “खंड (ग)”;
- पेज 4 में, लाइन 2 और 3, के लिए “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)”, पढ़ा जाए “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के साथ पढ़ा जाए”; और

- (iv) पेज 5 में, लाइन 2 और 3, के लिए “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)”, पढ़ा जाए “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के साथ पढ़ा जाए”।

[फा. सं. 2(5)/2025-साइबर लॉज़]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### CORRIGENDA

New Delhi, the 26th February, 2026

**G.S.R. 148(E).**— In the notification of the Government of India in the Ministry of Electronics and Information Technology, dated the 10<sup>th</sup> February, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 120(E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2026, Issue No. 114, in page 10—

- (a) lines 10 and 11, for “the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)”, read “the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) read with the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)”;
- (b) lines 42 and 43, for “the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)”, read “the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) read with the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023)”.

[F. No. 2(5)/2025-CyberLaws]

AJIT KUMAR, Jt. Secy.